कार्यालय अभियन्ता, जिला पंचायत, बिजनौर

(फार्म टैंडर मय नियमावली)

प्रपत्र संख्या : नि0का0–3

मूल्य टैण्डर.....................................

जिला पंचायत बिजनौर के ठेकेदारों के लिये प्रतिशत दर टैंडर की मद

निर्माण कार्य...

ठेकेदार का नाम...

ठेकेदारों के पथ प्रदर्शन के लिए सामान्य नियम और निर्देश

1. ठेके द्वारा निष्पादन के लिये प्रस्तावित सभी निर्माण–कार्य टैण्डर आमंत्रित करने के रूप में विज्ञापन किये जायेंगे और अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में सूचना पट्टे पर चिपकायें जायेगें जिस पर उक्त अधिकारी के हस्ताक्षर होगें। इस प्रपत्र में किये जाने वाले निर्माण कार्य का वर्णन और टैण्डर प्रस्तत करने और खुलने का दिनांक और निम्रण कार्य सम्पादित करने के लिए अनुमत समय, टैण्डर के साथ जमा की जाने वाली बयाने की धनराशि और सफल टैण्डर देने वाले द्वारा जमा की जाने वाली प्रतिभूति और बिलों से काटा जाने वाला प्रतिशत यदि कोई हो दिया जायेगा। इस ठेके लेख्य के सैट में प्रस्तावित निम्रण कार्य की ड्राईग और ब्यौरा, विशिष्टियाँ निर्माण कार्यो के विभिन्न मदों के परिणामों क अनुसूची और प्रयुक्त किये जाने वाले टैण्डर के, जिस पर अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी द्वारा पहचान के लिये हस्ताक्षर किया जायेगा। प्रपत्र के साथ मुद्रित ठैका शर्तो का प्रपत्र होगा और उस प्राधिकारी द्वारा अनुमानित होगा जो ठैका देने के लिये सक्षम होगा और अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय में जनता के निरीक्षण के लिये उपलब्ध होगा।

2. यदि टैण्डर किसी फर्म द्वारा प्रस्तुत किया जाये तो उस पर फर्म के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग–अलग हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिये या किसी भागीदार के अनुपस्थित होगे की स्थिति में ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे उस पर हस्ताक्षर करने के लिये मुख्तारनामें का अधिकार हो, उस पर हस्ताक्षर अवश्य किया जाना चाहिए।

3. किसी ऐसे निर्माण कार्य के सम्बन्ध में जब किसी फर्म द्वारा यह निष्पादित किया जाये, किये गए भुगतान के लिये रसीद पर विभिन्न भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए सिवाय जब टैण्डर से ठेकेदार फर्म के रूप में वर्णित किये गये। उस दशा में रसीदों पर फर्म के लाभ में किसी एक भागीदार द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्तियों द्वारा जिन्हे फर्म के लिये प्रभावी रसीद देने का अधिकार हो, अवश्य हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

4. कोई ठेकेदार जो टैण्डर प्रस्तुत करता है, टैण्डर का नियत प्रपत्र भरेगा और वह प्रपत्र के पृष्ठ भाग पर वैकल्पिक प्रस्ताव को जो उस मामले में लागू न हो काट देगा। ऐसे टैण्डर जिनमें टैण्डर आमंत्रित करने की सूचना के प्रपत्र में विनिर्दिष्ट निर्माण कार्य में या ऐसे निर्माण करने के लिए अनुमत समय में या जिसमें किसी प्रकार की कोई सूचना अन्य शर्ते हो उसमें कोई परिवर्तन करना हो या अंग्रेजी में भरे गये हो या उसके साथ विज्ञापित बयाने की धनराशि जमा न की गयी हो अस्वीकार कर दिये जायेगें। टैण्डर पर लिफाफे के बाहर उस निर्माण कार्य का नाम, जिसके सम्बन्ध में वे हो लिखा जायेगा।

5. अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी या उसका सम्यक रूप से प्राधिकृत सहायक किन्ही इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में जो उस समय उपस्थित हो, टैण्डर खोलेगा और विभिन्न टैण्डरों की धनराशि एक उपर्युक्त प्रपत्र में तुलनात्मक विवरण पत्र में दर्ज करेगा। टैण्डर स्वीकार कर लिये जाने की दशा में उसके साथ भेजे गये बयाने की धनराशि के लिये तर्दुपरान्त ठेकेदार को एक रसीद दी जायेगी, जो तदुपरान्त पहचान के लिये पैरा 1 में उल्लिखित विशिष्टियों और अन्य लेख्यों की प्रतिलिपियों पर हस्ताक्षर `करेगा। टैण्डर अस्वीकार कर दिए जाने की दशा में ऐसे अस्वीकार किये गये टैण्डर के साथ भेजी गयी बयाने की धनराशि तदुपरान्त ठैकेदार को लौटा दी जायेगी।

6. स्वीकृत प्राधिकारी को सभी या किसी टैण्डर को अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

7. ठेकेदार द्वारा भुगतान की गयी बयाने की धनराशि के लिये किसी लेखाकार या लिपिक की रसीद, अपर मुख्य अधिकारी/विकास अधिकारी को भुगतान करने की अस्वीकृति के रूप में नहीं मानी जायेगी और ठेकेदार इस बात के लिये उत्तरदायी होगा कि उस पर अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास द्वारा हस्ताक्षरित रसीद मिल जाये।

8. टैण्डर प्रपत्र जारी किये जाने से पूर्व ऐसे निर्माण–कार्य का ज्ञापन जिसेके लिये टैण्डर आमंत्रित किया गया हो अपर मुख्य अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय में भरा जायेगा। और पूरा किया जायेगा।

निर्माण कार्य के लिये टैण्डर

मै/हम एतद् द्वारा अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख क्षेत्र समिति के निम्नलिखित ज्ञापन पत्र में उल्लिखित निर्माण कार्य का ऐसे ज्ञापन पत्र में निविर्दिष्ट समय के भीतर उसमें उल्लिखित दरों पर इसके पैरा नं0 1 और ठैका की शर्तो के खण्ड–2 में व्यवस्था की गयी हो और ऐसी शर्तो के अनुसार जहां तक प्रोयोज्य हो, सभी अन्य प्रकार से निष्पादित करने के लिए टैण्डर देता हूँ/देते है।

(क) सामान्य ब्यौरा–यदि अनेके उप निर्माण कार्य सम्मिलित किये जाये तो पृथक सूची में ब्यौर कर देना चाहिए।

(ख) अनुमानित..................................पृष्ठ..............................एक पैरा..के अनुसार रूपया

(ग) बयाने की धनराशि...
निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिखित आदेश के दिनांक से कार्य करने के लिये अनुमत समय........................मास.....................

मद सं0	निर्माण कार्य की मद	लगभग संख्या या परिणाम	इकाई	(क) टैण्डर (ख) स्वीकृत (ब) अंकों में रूपया पैसा	(च) शब्दों में रूपया पैसा

स्वीकृत अनुमानों मे ंदरों से अधिक/कम प्रतिशत पर टैण्डर देता हूँ/देते है।

या

उपयुर्क्त दरों पर टैण्डर देता हूँ/देते है।

यदि यह टैण्डर स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुमानित ठका लेख्यों के सेट से संलग्न ठेका की सभी शर्तो और उसके उपबन्धों का पालन करने और उन्हे पूरा करने या उसमें व्यक्तिक्रम करने पर अध्यक्ष, जिला पंचायत/प्रमुख क्षेत्र समितियाँ उस मद में उत्तरवर्तियों के प्रति उक्त शर्तो में उल्लिखित धनराशि सहमत करने और भुगतान करने के सहमत हूँ/है इसके साथ बयाने की धनराशि के रूप में करेन्सी नोट्स में...रूपये की धनराशि भेजी जाती है।

जिसका पूरा मूल्य ठेका की शर्तो के खण्ड–विनिर्दिष्ट जमा के कारण बना रहेगा।

हस्ताक्षर ठेकेदार............................

दिनांक.................................200

साक्षी...

पता...

उप जिविका...

जिला पंचायत /क्षेत्र समिति की ओर से एतद् द्वारा उपयुक्त टैण्डर मेरे द्वारा स्वीकार किया जाता है।

स्वीकृत प्राधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम दिनांक दिनांक..................200

मैं या हम

विकल्प को काट दीजिये और वहां पर हस्ताक्षर कर दीजिये।

यहां यह ब्यौरा और संख्या दीजिये।

टैण्डर प्रस्तुत करने के पूर्व ठेकेदार का हस्ताक्षर

ठेकेदार के हस्ताक्षर के प्रति साक्षी का हस्ताक्षर

यहा पर ''सिफारिश'' ''सिफारिश'' नही किया है,' दर्ज कीजिए और हस्ताक्षर कर दीजिये।